भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 114*

09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में पारंपरिक दवाओं का समेकन

*114. श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर:
श्री दिलीप शइकीया:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का परम्परागत और अनुपूरक चिकित्सा पद्धति के मानकीकरण, गुणवत्ता और सुरक्षा जैसे पहलुओं का राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में समेकन करने और उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार करने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) परम्परागत और अनुपूरक औषधियों की समृद्ध विरासत के परिरक्षण और इसे आधुनिक, विश्वसनीय और वैश्विक रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने हेतु प्रस्तावित नए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में 09 फरवरी, 2024 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 114* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति- 2017 अन्य बातों के साथ-साथ आयुर्वेदिक दवाओं के मानकीकरण एवं वैधीकरण तथा आयुष दवाओं के लिए एक मजबूत और प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता को मानती है।

आयुष मंत्रालय ने अपने अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) की स्थापना की है। पीसीआईएम एंड एच, आयुष मंत्रालय की ओर से आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी (एएसयू एंड एच) औषधियों के लिए फार्मूलरी विनिर्देश और भेषजसंहिता मानक निर्धारित करता है, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और इसके तहत बनाए गए नियम 1945 के अनुसार एएसयू एंड एच दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण (पहचान, शुद्धता और ताकत) का पता लगाने के लिए आधिकारिक सार-संग्रह के रूप में काम आते हैं। भारत में विनिर्मित की जा रही एएसयू एवं एच औषधियों के उत्पादन के लिए इन गुणवत्ता मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथिक (एएसयू एंड एच) औषधियों की भेषजसंहिताओं और फार्मूलरियों, जो अनिवार्य विनियामक मानक निर्धारित करते हैं, में शामिल गुणवत्ता पैरामीटरों की पहचान की गई है ताकि उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन/ विश्व भर में प्रचलित अन्य प्रमुख भेषजसंहिताओं द्वारा निर्धारित पैरामीटरों के अनुरूप बनाया जा सके। इन भेषजसंहिता मानकों के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होता है कि जनमानस तक पहुंचने वाली औषधियां पहचान, शुद्धता और ताकत के संदर्भ में इष्टतम गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं।

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में आयुर्वेदिक, सिद्ध तथा यूनानी (एएसयू) औषधियों के लिए विशेष विनियामक प्रावधान हैं। अधिनियम की धारा 3 (क), 3 (ज) (i) विशेष रूप से एएसयू औषधियों से संबंधित है और इसी तरह आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी औषधियों के लिए नियामक प्रावधान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 151 से 170 में निर्धारित हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, 1945 में यथा निर्धारित आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के गुणवत्ता नियंत्रण और औषधि लाइसेंस जारी करने से संबंधित कानूनी उपबंधों का प्रवर्तन संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त राज्य औषधि नियंत्रकों/राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों में निहित है।

आयुष मंत्रालय ने 16.03.2021 को एक केंद्रीय क्षेत्र योजना नामत: आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) कार्यान्वित की है जिसका पांच वर्षों के लिए कुल आवंटन 122.00 करोड़ रुपये है। योजना के घटक निम्नानुसार हैं:

क. उच्च मानक प्राप्त करने के लिए आयुष फार्मेसियों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन।

ख. एएसयू एंड एच औषधियों की भेषजसतर्कता और भ्रामक विज्ञापनों पर निगरानी।

ग. आयुष औषधियों के लिए केंद्रीय और राज्य नियामक ढांचे के सुदृढ़ीकरण के साथ तकनीकी मानव संसाधन और क्षमता वर्धन कार्यक्रम।

घ. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसीआई) और अन्य संगत वैज्ञानिक संस्थानों तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास केंद्रों के सहयोग से आयुष उत्पादों और सामग्रियों के मानकों के विकास और मान्यता/प्रमाणन के लिए सहायता।

आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस), केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरयूएम), केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच), केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) क्रमश: आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध, और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा में

अनुसंधान के लिए स्वायत्त संगठन हैं और ये परिषदें देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध अपने परिधीय संस्थानों के माध्यम से विभिन्न अनुसंधान गतिविधियां चला रही हैं। सीसीआरएएस, सीसीआरयूएम, सीसीआरएच, सीसीआरएस और सीसीआरवाईएन नैदानिक अनुसंधान, औषधि अनुसंधान, औषधीय पादप अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान और प्रलेखन के माध्यम से संबंधित चिकित्सा पद्धति के वैज्ञानिक विधिमान्यकरण की दिशा में कार्य कर रही है।

इसके अलावा, आयुष मंत्रालय और भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के बीच, इसके बोर्ड, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एनएबीएच) के माध्यम से, आयुष स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों (एएचडब्ल्यूसी), जिन्हें एनएएम योजना के तहत सहायता प्राप्त मौजूदा आयुष औषधालयों और एकीकृत आयुष अस्पतालों का उन्नयन करके स्थापित किया गया है, के एनएबीएच आयुष एंट्री लेवल प्रमाणन (एईएलसी) के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तदनुसार, वर्तमान में प्रमाणन समिति के निर्णय के अनुसार 390 एएचडब्ल्यूसी को प्रमाणन हेतु अनुमोदित किया गया है।

आयुष मंत्रालय ने आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना भी विकसित की है जिसके तहत आयुष चिकित्सा पद्धति को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने, प्रचार और प्रसार करने के लिए विभिन्न गतिविधियां/पहल की गई हैं या की जा रही हैं अर्थात, भारत में मान्यता प्राप्त आयुष संस्थानों में आयुष पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विदेशी नागरिकों को आयुष छात्रवृत्ति प्रदान करना; पारस्परिक हित पर आयुष से संबंधित गतिविधियां चलाने के लिए देशों के स्तर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके विदेशों के साथ सहयोग; अनुसंधान/शैक्षिक सहयोग के लिए विदेशी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर; विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आयुष पीठों की स्थापना; आयुष विशेषज्ञ की प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक/दीर्घकालिक); आयुष के क्षेत्र में सहयोग, सहायता या अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए डब्ल्यूएचओ या संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ सहयोग; अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष चिकित्सा पद्धतियों के बारे में जागरूकता और रुचि को बढ़ावा देने और उसे मजबूत करने के लिए भारत या विदेश में सम्मेलन, संगोष्ठी, एक्सपो आदि; आयुष पद्धति के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए विदेशों में आयुष प्रकोष्ठ (केंद्र) की स्थापना; विभिन्न बहुपक्षीय मंचों जैसे- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स); शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ); जी-20; आईबीएसए; दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान); बे ऑफ बेंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (बिम्सटेक) आदि पर आयुष को प्रस्तुत करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुष में नैदानिक अनुसंधान करने के लिए सहायता देना आदि।

(ग): पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) की अवधारणा और शुरुआत 2001 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग (अब आयुष मंत्रालय) के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में की गई थी। टीकेडीएल डाटाबेस में वर्तमान में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध एवं सोवा रिग्पा तथा योग अभ्यास से संबंधित सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध शास्त्रीय/पारंपरिक पुस्तकों से ली गई भारतीय पारंपरिक चिकित्सा जानकारी, डिजीटल प्रारूप में शामिल है और यह पांच अंतरराष्ट्रीय भाषाओं (अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और जापानी) में उपलब्ध है। टीकेडीएल में 4.6 लाख से अधिक फार्मूलेशनों की मूल्यवर्धित सामग्री संघटकों, मैट्रिक्स, रोग स्थितियों आदि से संबंधित समकालीन, समतुल्य शब्दावली दी गई है। इस प्रकार, टीकेडीएल न केवल औषधीय पद्धतियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करता है, बल्कि ज्ञान को एक प्रारूप और भाषा में संरक्षित करता है जो पेटेंट जांचकर्ताओं, शोधकर्ताओं और चिकित्सकों के लिए समझने योग्य और सुलभ है।

आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज -11 संशोधन (आईसीडी-11) के पारंपरिक चिकित्सा (टीएम) अध्याय में दूसरा मॉड्यूल विकसित करने के कार्यान्वयन के लिए एक डोनर समझौते पर हस्ताक्षर किए। दस्तावेज़ जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया है।

*****